



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)
बर्डजलास - अजीत सिंह रावौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी**

वादपत्र संख्या 68 / 2025

दायर दिनांक 01.12.2025

अनवान

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।
..... वादी

बनाम

1. चान्दी पुत्री भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. कार्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
2. शान्ति पुत्री भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. कार्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
3. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. कार्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. पैरोकार तहसीलदार।

02. एकपक्षीय - प्रतिवादीगण

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

दिनांक :- 12 / 02 / 2026

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कार्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 88 रकबा 1.0117 हैक्टयेर किस्म बारानी तृतीय भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदायी हक से दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 88 रकबा 1.0117 हैक्टयेर भूमि में खातेदायों की मौके पर काश्त नहीं है।

लगातार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 88 रकबा 10117 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय भूमि पर मौके पर अवैध खनन कार्य होकर वर्तमान गड्डा होकर पानी भरा होने से यह प्रतीत होता है कि खातेदारान सद्भावी कृषक नहीं हैं।

अतः प्रतिवादीगण को उक्त ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कार्यां कलां स्थित आराजी नम्बर 88 रकबा 1.0117 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय भूमि से वेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज करना फरमावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण को नोटिस/ रजिस्टर्ड डक से तामील करवाई गई। जो शामील पत्रावली हैं। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। जिसका अंकन ऑर्डरशीट पर किया है।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम देबीनिवास का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-1 है, ग्राम देबीनिवास की जमाबन्दी नकल संवत् 2076-2079 पेश की है।

प्रकरण में वादी ने पी-डब्ल्यू- 1 ममता पंकज पिता मांगीलाल घोषी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलिया) पेशा नौकरी के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली है।

पी-डब्ल्यू-1 ममता पंकज पिता मांगीलाल घोषी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलिया) पेशा नौकरी ने अपने बयान में लिखाया कि मेरे द्वारा दिनांक 17.11.2025 को मौका पर्चा बनाया गया। मौका पर्चा के सभी तथ्य सही हैं। तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 17.11.2025 को ग्राम देवीनिवास के आराजी नम्बर 88 रकबा 1.0117 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय का मौका पर्चा मेरे द्वारा बनाया गया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर किए गए हैं। उक्त आराजी में अवैध खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर गड्डा होकर पानी भरा हुआ है। उक्त आराजी का उपयोग कृषि हेतु नहीं किया जाकर अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा है।

उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।



लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास – अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 68/2025

दायर दिनांक 01.12.2025

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

....डिक्रीदार

बनाम्

1. चान्दी पुत्री भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
2. शान्ति पुत्री भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा
3. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. कास्यां तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा

.....मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 12 / 02 / 2026

डिक्री दिनांक : 12 / 02 / 2026

—: डिक्री :—

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :-

अतः मौजा ग्राम देवीनिवास पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 88 रकबा 1.0117 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वंग अपना अपना वहन करे।



लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

पेज संख्या 02

नीज Nil मुबलिय Nil
बाबत् Nil खर्चा इस मुकदमें के मय रूद व शहर Nil
फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक Nil
का अदा करे ।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 02 वर्ष 2026 को जारी किया गया ।

3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

3
(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

